

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Email : dm-sir-rj@nic.in

judisectionsirohi@gmail.com

क्रमांक: प.16(12)()कोरोना/न्याय/20/2223-60

दिनांक 25-03-2021

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

गृह विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.33(02)गृह-9/2019 पार्ट दिनांक 19.11.2020 के द्वारा दिये गये परामर्श एवं अधिसूचना दिनांक 19.3.2021 के क्रम में जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बना हुआ है एवं इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र निरोधात्मक उपाय वांछित है।

अतः मानव जीवन की रक्षा / सुरक्षा के मध्यनजर मैं, भगवती प्रसाद, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरोही जिले में दिनांक 25.03.2021 रात्रि 11.00 बजे से निम्नानुसार निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं यह आदेश देता हूँ कि :-

1. सिरोही जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा। "नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना की जावेगी। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध है साथ ही शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है।
2. जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे बाद बाजार बंद रहेंगे।
3. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या प.16(12)()कोरोना/न्याय/20/2253-90 दिनांक 22.3.2021 की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जावें।
4. वैवाहिक समारोह में अधिकतम 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। विवाह सम्बन्धी आयोजन की सूचना पूर्व में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को दी जावें।
5. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक / जन कार्यक्रमों इत्यादि की पूर्व सूचना की शर्त पर अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत होंगे।
6. उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, परिवहन सेवाओं, चिकित्सीय / आपातकालीन संस्थाओं एवं सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं राजकीय कार्यालय को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाता है।
7. मैं, जिला मजिस्ट्रेट सिरोही, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
8. चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है इस कारण इसकी व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश धारा 144(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। सर्व साधारण की जानकारी हेतु सिरोही जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें।
9. यह आदेश आज दिनांक 25.03.2021 को मध्य रात्रि से दिनांक 21.04.2021 को रात्रि 11.00 बजे तक सिरोही जिले में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक प.16(12)()कोरोना/न्याय/20/ 2223-60

दिनांक 25-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर ।
3. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर ।
4. वरि.शासन उप सचिव, गृह विभाग (ग्रुप-9) राजस्थान, जयपुर ।
5. पुलिस अधीक्षक, सिरोही को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार आदेश की पालना हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करावें ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाड़ा / आबूपर्वत ।
8. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाड़ा / आबूरोड़ ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ।
10. एसीपी, डीओआईटी, सिरोही को जिले की वेबसाईट पर अपलोड के लिए ।
11. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही / शिवगंज / रेवदर / पिण्डवाड़ा / आबूरोड़
13. आयुक्त, नगर परिषद, सिरोही / आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत ।
14. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिण्डवाड़ा / शिवगंज / आबूरोड़ / जावाल ।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
16. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / आपदा प्रबन्धन / विकास शाखा
17. निजी सहायक, जिला कलक्टर, सिरोही ।



जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही